दिनांक 25.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 42/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

<u>जनपद मथुरा/थाना महावन</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 60 हजार रूपये नगद**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त सहित 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 25.06.2025 को थाना महावन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिन्ताहरण रोड़ के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मोहित उर्फ अजय उर्फ डीजे 2–आकाश उर्फ मरिया 3–विशाल उर्फ कल्लू 4–परवेज घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 60 हजार रूपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त सहित 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त 1–मोहित उर्फ अजय उर्फ डीजे व विशाल उर्फ कल्लू के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 04–04 अभियोग एवं अभियुक्त आकाश उर्फ मरिया के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोबाइल फोन आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना महावन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहित उर्फ अजय उर्फ डीजे निवासी दामोदरपुर थाना सदर बाजार जनपद मथुरा।

2—आकाश उर्फ मरिया निवासी दामोदरपुर थाना महावन जनपद मथुरा।

3—विशाल उर्फ कल्लू निवासी औरंगाबाद थाना सदर बाजार जनपद मथुरा।

4—परवेज निवासी कस्बा व थाना सदर बाजार जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—लूट के 01 लाख 60 हजार रूपये नगद।

2—लूट का 01 मोबाइल फोन।

3—04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त सहित 02 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद हरदोई/थाना शाहाबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 25.06.2025 को थाना शाहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुशील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना शाहाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शाहाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुशील निवासी ग्राम ओमपुरी थाना को0 देहात जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

जनपद मऊ/थाना मधुबन/थाना हलधरपुर

- **15–15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 25.06.2025 को थाना मधुबन व थाना हलधरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानो से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–मुनीब उर्फ घुटकन 2–अंकित को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना मधुबन पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मधुबन व थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुनीब उर्फ घुटकन निवासी धनौती सलेम कटैया थाना गड़वार जनपद बलिया।

2–अंकित निवासी पचखोरा थाना सुखपुरा जनपद बलिया।

जनपद बाराबंकी/थाना रामसनेहीघाट

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 25.06.2025 को थाना रामसनेहीघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दरियाबाद अण्डरपास के निकट से अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रामसनेहीघाट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुकेश निवासी ग्राम देवीगंज थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–चोरी की 09 मोटर साइकिल।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना छतारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/376ए, बी भादवि व 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त चनुआ उर्फ प्रशान्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना भरथना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–श्रीपाल 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मऊ/थाना सरायलखन्सी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना सरायलखन्सी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त देवेन्द्र को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना जारचा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना जारचा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नियाज को 20 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।